3035

संख्या-/09 4/ XXIV-नवसृजित / 2017-02(21) / 2015

प्रेषक.

कैं<mark>0 आलोक शेखर तिवारी,</mark> अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—नवसृजित देहरादूनः दिनांकः ७२ जिनपरी 2018 विषयः—माध्यमिक स्तर के मॉडल स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2017—18 में शिक्षकों की पदस्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय.

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक/नियोजन/14672/मॉडल स्कूल/2017-18 दिनांक 21 अगस्त, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा उक्त स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना हेतु चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश चाहे गये हैं।

2— शासनादेश संख्या—804/XXIV—नवसृजित/2017—02(21)/2015 दिनांक 05 अक्टूबर, 2016 में 60 प्रतिशत कट ऑफ के नीचे भी मेरिट के आधार पर अवरोही कम में शिक्षकों को चयन उपलब्ध रिक्तियों की सीमा तक किए जाने की व्यवस्था है।

3— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या—804 / XXIV—नवसृजित / 2017—02(21) / 2015 दिनांक 05 अक्टूबर, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नवत व्यवस्था निर्धारित की जाती है:—

"60 प्रतिशत कट ऑफ के नीचे 50 प्रतिशत तक अवरोही कम में मेरिट के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों की सीमा तक शिक्षकों का चयन किया जाए।"

शासनादेश की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

(कै0 आलोक शेखर तिवारी) अपर सचिव।